दिनांक 10 फरवरी, 2005 को मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में उनके सभागार में उत्तरांचल बांस एवं रेषा विकास परिषद् की कार्यकारिणी की संपन्न हुई चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्य

1. डा0 आर0 एस0 टोलिया	मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
2. श्रीमती विभा पुरी दास	प्रमुख सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तरांचल शासन	उपाध्यक्ष,
3. डा. बी0 एस0 बर्फाल	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल	सदस्य
4. श्री रणबीर सिंह	सचिव, वन एवं पर्यावरण	सदस्य
5. श्री एस0 टी0 एस0 लेप्चा	मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	पदेन सचिव,
6. श्री राजीव ओबराय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोसायटी ऑफ पीपल फॉर डेवलपमेंट, देहरादून	सदस्य
7. श्री अरूण पांधी	प्रोग्राम मैनेजर, एस.आर.टी.टी., मुंबई	सदस्य
8. श्री राजेश थडानी	तकनीकी सलाहकार, एस.आर.टी.टी., मुंबई	सदस्य
9. श्री अजेन्दर सिंह चावला	प्रतिनिधि सिबार्ट, नई दिल्ली	

अन्य उपस्थित अधिकारी

6. श्री विमल धीमान	तकनीकी समन्वयक, उ0बां0रे0वि0प0, देहरादून।
7. श्री संजय भाटी	मॉनिटरिंग एवं डॉक्यूमेन्टेशन समन्वयक, उ.बा.रे.वि.प., देहरादून
8. श्री आनन्द सिंह रावत	प्रशासनिक सहायक, उ.बां.रे.वि.प., देहरादून

मद संख्या – 1 **<u>उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद् कार्यकारिणी की तृतीय बैठक दिनांक 2.7.2004 के कार्यवृत्त से अवगत होना.</u>**

कार्यकारिणी अवगत हुई.

मद संख्या – 2 ***उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद् की कार्यकारिणी की तृतीय बैठक पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण***

तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही को कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया.

मद संख्या –3 ***आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर में छूट प्राप्ति हेतु परिषद् की नियमावली में आयकर अधिनियम के अनुरूप संशोधन:***

कार्यकारिणी द्वारा उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद् की नियमावली में आयकर अधिनियम के अनुरूप किये जाने वाले संशोधनों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया. नियमावली में किये संशोधन, जिन पर अनुमोदन प्रदान किया गया, निम्नानुसार है:

Modifications in Memorandum of Association

Sl.No.	Title	Point No.	Original	Modification/Additional
2	**Registered Office**		The office of the **Uttaranchal Bamboo & Fiber Development Board (UBFDB)** hereafter referred to as Board shall be situated at Watershed Management Directorate, Dehradun and address shall be **C.F.** and Nodal Officer Bamboo, Uttaranchal Bamboo and Fiber Development Board, Watershed Management Directorate, Indira, Nagar, Forest Colony, Dehradun.	The office of the **Uttaranchal Bamboo & Fiber Development Board (UBFDB)** hereafter referred to as Board shall be situated at Watershed Management Directorate, Dehradun and address shall be **C.C.F.** and Nodal Officer Bamboo, Uttaranchal Bamboo and Fiber Development Board, Watershed Management Directorate, Indira, Nagar, Forest Colony, Dehradun.
4	**Aims & Objectives**		The Uttaranchal Bamboo and Fiber Development Board shall function as the State Nodal Agency for Bamboo development activities, it would:.	The Uttaranchal Bamboo and Fiber Development Board shall function as the State Nodal Agency for Bamboo & Fiber centric development activities mostly for holistic development of the most marginalized communities of the state specially SC, ST, BPL and women and it would:.
		Additional point		Mobilize the marginalized communities to form institutions in the form of SHGs, Mahila Mangal Dals, Yuvak Mangal Dal and Artisans Societies for their economic up-liftment.
		Additional point		To generate sources of income for most poor specially BPL through providing support for Bamboo & Fiber plantation and value addition related cottage industries.
		Additional point		Provide other support like health services, water, sanitation, education to the members and families of the economically and socially disadvantaged section of

				the communities.
		Additional point		Provide support to the houseless for building low cost, earthquake resistant houses based on bamboo.
		Additional point		Plantation of bamboo and fiber crops will be done in landslides prone areas. To mitigate the large-scale soil erosion from the community land, which has lead to further marginalisaling the communities.
		Additional point		Providing social and economically security to old people and women by supporting them in growing bamboo & fiber nursery and plantations, which would give them regular source of income.
5	**Board of Management**	Occupation –1	Forest and Rural Development Commissioner, Uttaranchal	Chief Secretary, Govt. of Uttaranchal
		Name –2	Sh. B.P.Pandy, S/o Sh. Govardhan Pandey	Mrs. Vibha Puri Das, W/o S.K.Das
		Occupation-2	Secretary, Watershed	Principal Secretary & FRDC, Govt. of Uttaranchal
		Position – 2	Chairman, Ex-officio	Vice Chairman, Ex-officio
		Name-3	Dr. Sanjeev Chopra	Dr. Ranbeer Singh
		Occupation-3	Secretary, Rural Development	Secretary, Forest
		Name-4	Sh. M.M. Harbola, S/o Sh. K.N. Harbola	Dr. B.S. Barfal
		Name-6	Smt. Ranjana Kala, W/o Sh. Rajendra Kumar	Mr. Ajender Singh Chawla, S/O Sh. M.S. Chawla
	Additional	Nane-8		Sh. Arun Pandhi
	Additional	Occupation-8		Programe Manager
	Additional	Address-8		Sir Ratan Tata Trust, Mumbai
	Additional	Position-8		Member
	Additional	Nane-9		Sh. Rajesh Thadani
	Additional	Occupation-9		Technical Consultant
	Additional	Address-9		Sir Ratan Tata Trust, Mumbai
	Additional	Position-9		Member

Modifications in Byelaws of Uttaranchal Bamboo & Fiber Development Board

Sl.No.	Title	Point No.	Original	Modification/Additional
1	Name & Area of Operation	1.2	The office of the **Uttaranchal Bamboo & Fiber Development Board (UBFDB)** hereafter referred to as Board shall be situated at Watershed Management Directorate. Dehradun and address shall be **C.F.** and Nodal Officer Bamboo. Uttaranchal Bamboo and Fiber Development Board, Watershed Management Directorate, Indira. Nagar. Forest Colony, Dehradun.	The office of the **Uttaranchal Bamboo & Fiber Development Board (UBFDB)** hereafter referred to as Board shall be situated at Watershed Management Directorate, Dehradun and address shall be **C.C.F.** and Nodal Officer Bamboo. Uttaranchal Bamboo and Fiber Development Board, Watershed Management Directorate, Indira, Nagar, Forest Colony, Dehradun.
2	Definitions		**"Chairman"** shall mean the **"Principal Secretary & Commissioner", Forest & Rural Development** of the State Ex-officio under Rule 5.2 of the Board.	**"Chairman"** shall mean the **"Chief Secretary"** of the State Ex-officio under Rule 5.2 of the Board.
			"The Vice Chairman" shall mean the **Principal Secretary/Secretary, Agriculture**, Govt. of Uttaranchal Ex-officio ex-officio under rule 5.3 of the Board.	**"The Vice Chairman"** shall mean the **Principal Secretary & FRDC,** Govt. of Uttaranchal ex-officio under rule 5.3 of the Board.
			"The Secretary" shall mean the Nodal Officer Bamboo and **C.F.** for the time being appointed under Rule 5.4 of the Board.	**"The Secretary"** shall mean the Nodal Officer Bamboo and **C.C.F.** for the time being appointed under Rule 5.4 of the Board.
	Aims & Objectives		The Uttaranchal Bamboo and Fiber Development Board shall function as the State Nodal Agency for Bamboo development activities. it would:.	The Uttaranchal Bamboo and Fiber Development Board shall function as the State Nodal Agency for Bamboo & Fiber centric development activities mostly for holistic development of the most marginalized communities of the state specially SC, ST, BPL and women and it would:.
	Additional point			Mobilize the marginalized communities to form institutions in the form of SHGs, Mahila Mangal Dals, Yuvak Mangal Dal and Artisans Societies for their economic up-liftment.
	Additional point			To generate sources of income for most poor specially BPL through providing support for Bamboo & Fiber plantation and value addition related cottage

				industries.
	Additional point			Provide other support like health services, water, sanitation, education to the members and families of the economically and socially disadvantaged section of the communities.
	Additional point			Provide support to the houseless for building low cost, earthquake resistant houses based on bamboo.
	Additional point			Plantation of bamboo and fiber crops will be done in landslides prone areas. To mitigate the large-scale soil erosion from the community land, which has lead to further marginalisaling the communities.
	Additional point			Providing social and economically security to old people and women by supporting them in growing bamboo & fiber nursery and plantations, which would give them regular source of income.
6	Officers of the Board		The **Forest and Rural Development Commissioner**, of the State shall be the Ex-offcio Chairman of the Board.	The **Chief Secretary** of the State shall be the Ex-offcio Chairman of the Board.
			The **Secretary, Watershed** of the State shall be the Ex-Officio Vice Chairman of the Board.	The **Principal Secretary & FRDC** of the State shall be the Ex-Officio Vice Chairman of the Board.
			C.F. & Nodal Officer. Bamboo shall be the Secretary of the Board.	**C.C.F.** & Nodal Officer. Bamboo shall be the Secretary of the Board.
8	Quorum	8.6	**Eight** members of the Board present shall form a quorum at every general meeting of the Board.	**Two Third** members of the Board present shall form a quorum at every general meeting of the Board.
9	Quorum	9.14	**Five** members present in person shall form a quorum for the Executive Committee Meetings.	**Two Third** members present in person shall form a quorum for the Executive Committee Meetings.
10	Funds. Accounts & Audit	10.1.1.	Grants made by Government of India.	Grants made by Government of India and Govt. of Uttaranchal.
		Additional Point 10.9		The society can generate funds/donations for a corpus fund of the organization. to ensure its long tem sustainability.

मद संख्या – 4 **परिषद् की वित्तीय एवं लेखा नियम पुस्तिका (Financial Accounting Manual)**

उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा तैयार वित्तीय एवं लेखा नियम पुस्तिका का अवलोकन करने के पश्चात कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से परिषद् की वित्तीय एवं लेखा नियम पुस्तिका हेतु अनुमादन प्रदान किया गया.

मद संख्या – 4 **परिषद् के वित्तीय वर्ष 2004–05 के लेखें के अंकेक्षण हेतु सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) की नियुक्ति**

परिषद् के वित्तीय वर्ष 2004–05 के लेखों के अंकेक्षण (Audit) हेतु मैसर्स श्याम लाल मन्ध्यान्ह, सनदी लेखाकार (Chartered Accountamt), लखनऊ की नियुक्ति के प्रस्ताव को कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया.

मद संख्या – 7 **अन्य मद जिन पर बैठक के दौरान चर्चा हुई निम्नलिखित हैः**

1. मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये कि उत्तरांचल में थारू जनजाति द्वारा किये जा रहे बांस एवं रेशा उत्पादों के कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाये, जिसमें किये जाने वाले कार्यों को चरणवद्ध रूप से रखा जाये, प्रस्ताव में 90 प्रतिशत धनराशि की हिस्सेदारी केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी राज्य सरकार की रखी जाये.
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास द्वारा सुझाव दिया गया कि बांस एवं रेशे के इकॉ–फ्रेन्डली, अन्य उपयोगी तथा बैठकों इत्यादि में वितरित किये जाने वाले बैग्स तथा अन्य सामग्री/उत्पाद तैयार किये जाये. तथा सभी उत्पादों का तैयार स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखा जाये, ताकि आदेश मिलने पर आपूर्ति की जाये. इन उत्पादों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा सभी उत्पादों पर एक कैटेलॉग भी तैयार किया जा सकता है. मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि चूंकि सरकार भी बांस एवं रेशा संबंधी उत्पादों की खरीद कर सकती है, अतः इन उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये.
3. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया गया कि उनके निर्देशों के क्रम में डी.एम.एम.सी. को बांस के भूकंप रोधी मकान बनाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है. इस संबंध में मुख्य सचिव

महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि चूंकि प्रारंभ में संपूर्ण मकान बांस से बनाया जाना संभव नहीं है, अतः प्रारंभिक चरण में बांस का उपयोग मकानों की छत, बीम तथा अन्य सामग्री बनाये जाने में किया जा सकता है. इस संबंध में भी प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जा सकता है तथा भूकंप रोधी अवस्थापनाये तैयार करने हेतु हेतु डी.एम.एम.सी. से लिंकअप किया जा सकता है. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त ने सुझाव दिया कि बांस से भूकंप रोधी मकान बनाने संबंधी तकनीकी को परिषद् द्वारा सी.डी. आर.आई. से प्रमाणित करवाकर किसी विशेषज्ञ संस्थान से इसका क्लीयरेन्स करवाया जा सकता है.

4. मुख्य सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि उत्तरांचल में मुख्यतः होने वाले बांस *Dendrocalamus Hamiltonii* की सीडलिंग्स की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये, जिससे गुणवत्तायुक्त बांस का उत्पादन किया जा सके.

5. मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी सुझाव दिया कि सितारगंज में बांस एवं रेशा संबंधित कार्य कर रहे बंगाली समुदाय को प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिससे वे अपने क्षेत्र में बांस एवं रेशा संबंधित उत्पादों का निर्माण करने वाले अन्य शिल्पकारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रशिक्षित करे सके तथा धन उपार्जन कर सके.

6. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि परिषद् द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में अपने परियोजना क्षेत्र के तीन जनपदों में बांस नर्सरी तैयार करने तथा उससे संबंधी प्रशिक्षण कराने हेतु प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया जाना चाहिए. जिससे उस क्षेत्र के बेरोजगार/कास्तकार लाभान्वित हो सके.

7. मुख्य सचिव महोदय द्वारा कोटी गांव, जहां पर शिल्पकारों द्वारा बांस, रिंगाल तथा रेशा संबंधी उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है, का उदाहरण देते हुए कहा कि कोटी जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बांस एवं रिंगाल का कार्य किया जा रहा है, उन्होने निर्देश दिये गये कि उत्तरांचल में जिन क्षेत्रों में बांस एवं रेशा संबंधी कार्य हो रहे हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे शिल्पकारों का विवरण तथा उनके द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादों पर अध्ययन का उनका डॉक्यूमेन्टेशन किया जाये.

8. उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा सीबार्ट, नई दिल्ली से बांस एवं रेशा विकास हेतु तैयार करवाये गये 10 वर्षों के रोड़ मैप के संबंध में उपस्थित सदस्यों द्वारा निम्नानुसार सुझाव दिये गयेः

क. श्री राजेश थडानी द्वारा सुझाव दिया गया कि रोड़ मैप में आसानी से समझा जा सकने वाला लॉगफ्रेम रखा जाये.

ख. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया द्वारा सुझाव दिया गया कि रोड़ मैप में सुधार हेतु एक्टीविटी चार्ट रखा जाये.

ग. मुख्य सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि रोड़ मैप में प्रत्येक गतिविधि की समय सारणी भी रखी जाये.

घ. श्री एस.टी.एस. लेप्चा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एस.आर.टी.टी., मुंबई के प्रतिनिधि के साथ बैठकर परिषद् द्वारा इन हाउस रोड़ मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें उक्त सुधार किये जाएंगे.

9. श्री राजेश थडानी द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद् एवं वन विभाग में अच्छा समन्वय है, परन्तु परिषद् एवं जन सहभागिता में समन्वय की कमी है, जिसे बेहतर बनाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये. इसके अतिरिक्त श्री थडानी द्वारा इस बात पर जोर दिया कि उत्तरांचल में बांस वृक्षारोपण ई–लैण्ड इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है, परन्तु उनके द्वारा किये गये वृक्षारोपण में जन सहभागिता की कमी दिखी. अतः इस दिशा में बेहतर प्रयास की आवश्यकता है. उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एस.आर.टी, मुंबई से जुड़ी लगभग छः स्वयं सेवी संस्थाये उत्तरांचल में कार्य कर रही हैं, अतः परिषद् द्वारा एस.आर.टी.टी., मुंबई द्वारा पोषित परियोजना में इन स्वयं सेवी संस्थाओं को जोड़ा जाना चाहिए.

10. श्री थडानी द्वारा अवगत कराया गया कि एस.आर.टी.टी., मुंबई द्वारा पोषित परियोजना के अंतर्गत परिषद् द्वारा तैयार कराई जा रही सभी हाईटैक नर्सरी मैदानी क्षेत्रों में है, उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी हाईटैक नर्सरी स्थापित की जाये.

11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कोटद्वार में कॉमन फेसिलिटी सेन्टर की स्थापना हेतु मशीनों एवं औजारों के क्रय के लिये वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रू.29.80 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी. मशीनों एवं औजारों हेतु हेतु आपूर्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा इस माह के अंत तक मशीनें कॉमन फेसिलिटी सेन्टर में

स्थापित कर दी जाएंगी. मुख्य सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि कॉमन फेसिलिटी सेन्टर की स्थापना के पश्चात सेन्टर का व्यवसायिकरण कर जन सहभागिता से चलाया जाये, तथा केन्द्र में बांस, रिंगाल तथा रेशा उत्पादों के निर्माण करने हेतु मशीनों का उपयोग करने वाले शिल्पकारों से कुछ धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त की जाये, जिससे केन्द्र के संचालन इत्यादि कार्यों को निरंतर किया जा सके.

12. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद् द्वारा करवाई जाने वाले प्रशिक्षणों में प्रशिक्षकों पर आने वाली लागत को वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा वहन किया जा सकता है. अतः परिषद् इस संबंध में प्रस्ताव वन एवं ग्राम्य विकास शाखा को प्रेषित कर सकता है.

13. श्री अरूण पांधी द्वारा सुझाव दिया गया चूंकि उत्तरांचल में 90 प्रतिशत बांस वृक्षारोपण कार्य ई–लैण्ड इंटरनेशनल द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिस हेतु भविष्य में परिषद् कार्यकारिणी बैठक में ई–लैण्ड इंटरनेशल के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना चाहिए.

14. मुख्य सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिये गये कि ई–लैण्ड इंटरनेशनल द्वारा उत्तरांचल में किये जा रहे कार्यों तथा प्रगति की समीक्षा एफ.आर.डी.सी. के माध्यम से निरंतर किये जाने हेतु सुझाव दिया.

15. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया द्वारा सुझाव दिया गया कि ई–लैण्ड के कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा हेतु पैरामीटर इत्यादि तय किये जाने आवश्यक है.

16. मुख्य सचिव द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी कार्यों की समीक्षा बैठक में एन.एम.बी.ए. के एजेंडे पर भी विचार–विमर्श किया जाना चाहिए.

17. मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये की परिषद् कार्यकारिणी की बैठक में बांस एवं रेशा परियोजनाओं की प्रगति को पृथक–पृथक रूप से दर्शाया जाये.

18. श्री राजेश थडानी द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद् के पास कार्यालय में जगह की कमी के कारण कार्यालय कार्यों के संचालन में असुविधा हो रही है, अतः बोर्ड को पर्याप्त जगह उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया. इस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उत्तरांचल बायो

फ्यूल का कार्यालय अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर बोर्ड को पूरा भवन दिया जा सकता है.

19. मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि बांस एवं रेशा विकास परिषद् को पृथक करके न देखा जाये, बल्कि इसे वन विभाग का एवं उत्तरांचल वन विकास निगम का ही अंग समझा जाये, क्योंकि बांस एक महत्वपूर्ण वन उपज है एवं इसके संवर्द्धन एवं दोहन से दोनों विभाग लाभान्वित होंगे. अतः परिषद् के सुदृढ़ीकरण एवं संस्थागत विकास से भविष्य में दोनो विभागों को लाभ होगा.

20. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कार्यकारिणी को अवगत कराया गया कि चूंकि उत्तरांचल वन विकास निगम तथा ई–लैण्ड इंटरनेशनल द्वारा परिषद् के साथ मिलकर बांस संबंधी कार्य किये जा रहे हैं, अतः प्रबंध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम के एवं प्रतिनिधि, ई–लैण्ड इंटरनेशनल को परिषद् कार्यकारिणी में शामिल किया जा सकता है. जिस पर कार्यकारिणी के सभी सदस्यां द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया.

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

एस0 टी0 एस0 लेप्चा
वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / पदेन सदस्य सचिव
उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद्
देहरादून

अनुमोदित

डा0 आर0 एस0 टोलिया
मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
एवं पदेन अध्यक्ष, उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद्
देहरादून

Uttaranchal Bamboo & Fiber Development Board

UTTARANCHAL BAMBOO AND FIBER DEVELOPMENT BOARD

Indira Nagar Forest Colony, Dehradun, Uttaranchal – 248006

Phone: 0135-3091538 Fax: 0135-2760897, E-mail: ubfdb@vsnl.net

Fourth Meeting of Executive Committee of the Board

Attendence Sheet

Sl.No.	Name of Participants	Designation	Signature
1	R S Tolia	C.S.	[signature]
2	Rajeev Oberoi	Secretary, SPD, Dehradun	[signature]
3	[illegible] Das	FRDC	[signature]
4	[illegible]	[illegible]	[signature]
5	B S Burfal	PCCF UA	[signature]
6	S T S Lepcha Arun Pandit	CCF/CEC UBFDB Sr. Ratan Tata Trust	[signature]
7	[illegible]	[illegible]	[signature]
8	[illegible]	Technical Coordinator	[signature]

[signature] [signature]

9	Ajinder Singh	Livelihood lead (Rep CIBART)	Ajinder
10	Sanjay Pathak	Dcc & Monitoring Coordinator (UPFDB)	[signature]
11	Anand Rawat	Admin Assistant (UBFDB)	A Rawat
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

[signature]